आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा अपीलवाद सं0-237/2023

इब्रार अहमद

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

01.07.2024

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No. 20506/2014 में दिनांक 10.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में सुनवाई हेतु लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नांकित है;

".....After some arguments, the learned counsel for the petitioner seeks liberty on behalf of the petitioner to challenge the order dated 26-02-2014, passed by the District Magistrate, Saran at Chapra, by filing appropriate appeal. Liberty, so sought, is granted.

It is needless to state that in case, appropriate appeal is filed within a period of two weeks from today, the appellate authority shall consider the same on merits and dispose off the same, within a period of eight weeks, thereafter.

The present writ petition stands disposed off.

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि श्री इब्रार अहमद, बर्खास्त लिपिक तत्कालीन कोषागार कार्यालय, छपरा को निगरानी विभाग, बिहार, पटना के छापामारी दल द्वारा मो0-1500/- (एक हजार पॉच सौ रूपये) घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप के लिए निंबित किया गया तथा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 343, दिनांक 07.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता पर लगाए गए आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा-सह-संचालन पदाधिकारी, के प्रतिवेदन के आलोक में अपीलकर्त्ता से द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण-पृच्छा पर सम्यक विचारोपरांत तथा आरोपों को सत्य पाए जाने के आधार पर ***बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित 2007 के नियम-14(i)*** के तहत जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के आदेश ज्ञापांक 362/स्था0, छपरा दिनांक 26.02.2014 द्वारा अपीलकर्त्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया

Scanned with OKEN Scanner

गया। जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C No. 20506/2014 दायर किया गया जिसमें दिनांक 10.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए निम्नांकित बातें कही गयी है;

(i) अपीलकर्त्ता के नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दण्डादेश पारित करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को नहीं है।

(ii) अपीलकर्त्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किस आधार पर किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। निगरानी विभाग की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। शिकायतकर्त्ता श्री जवाहर दूबे से घूस की राशि मांगे जाने अथवा राशि लिए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। केवल अनुमान के आधार पर अपीलकर्त्ता को गिरफ्तार किया गया है।

(iii) अपीलकर्त्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विहित प्रक्रियायों का पालन नहीं किया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा वो संचालन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया था। विभागीय कार्यवाही से संबंधित आदेश-पत्रक का संधारण नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने हेतु न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा किसी गवाह को बुलाया गया है।

प्रस्तुत मामले में Vigilance Investigation Bureau द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात के आधार पर अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोप लगाए गए है परन्तु किसी भी साक्ष्य का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

(iv) अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की सूची एवं साक्ष्य/साक्षियों को सूची अपीलकर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध **Prevention of corruption Act** के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा उन्हीं आरोपों के लिए, समान कागजात/तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन भी किया गया है। परन्तु उनमें से किसी अभिलेख का सत्यापन अथवा साक्ष्य परीक्षण संचालन

Scanned with OKEN Scanner

पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

(v) अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोपित दण्ड, उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप के अनुपातिक नहीं है। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 31.01.2014 पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समुचित विचार भी नहीं किया गया है तथा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर अपना मंतव्य दिया गया है।

अंत में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि चूँकि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर आरोप लगाए गए है। उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विहित प्रक्रियायों का पालन नहीं किया गया है तथा अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखे जाने का समुचित अवसर दिए बिना दण्डादेश पारित किया गया है। अतएव, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि पुलिस अधीक्षक (बी0) विशेष शाखा, बिहार, पटना के ज्ञापांक- पी05682(3) वि0शा0 पटना, दिनांक 22.10.08 एवं कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 1517, दिनांक 17.11.08 द्वारा अपीलकर्त्ता श्री इब्रार अहमद, बर्खास्त लिपिक, तत्कालीन कोषागार कार्यालय, छपरा को दिनांक 17.10.2008 को निगरानी विभाग, बिहार, पटना के छापामारी दल द्वारा मो0-1500/- (एक हजार पॉच सौ रूपये) घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने की सूचना जिला स्थापना शाखा, सारण समाहरणालय, छपरा को दी गयी। उक्त के आलोक में जिला स्थापना शाखा के आदेश ज्ञापांक 1734 दिनांक 19.11.08 द्वारा अपीलकर्त्ता को निलंबित किया गया। जमानत पर रिहा होने के पश्चात अपीलकर्त्ता के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मकेर अंचल निर्धारित किया गया। इसी क्रम में जिला स्थापना शाखा के ज्ञापांक 797, दिनांक 11.07.09 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर अपीलकर्त्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा निलंबन मुक्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिसपर विचारोपरान्त जिला स्थापना शाखा, सारण के ज्ञापांक 932, दिनांक 01.08.2009 द्वारा उन्हे निलंबन मुक्त किया गया।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 343, दिनांक 07.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। तत्पश्चात् जिला स्थापना शाखा, समाहरणालय, सारण के ज्ञापांक 214

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 11.02.2014 द्वारा अपीलकर्त्ता से द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जॉच प्रतिवेदन एवं अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण-पृच्छा पर सम्यक विचारोपरांत अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाए जाने के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं बिहार सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैः-

(i) सेवापुस्त के अनुसार राज्य खाद्य, निगम, बिहार, पटना के आदेश सं0-5962, दिनांक 30.04.1983 के आलोक में सहायक लेखापाल के पर नियुक्त किया गया है।

(ii) वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 593, दिनांक 21.07.1993 द्वारा कोषागारों के अराजपत्रित कर्मचारियों को संबंधित जिला पदाधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में सौपा गया था।

(iii) वित्त विभागीय संकल्प सं0 47(को0), दिनांक 25.01.1999 द्वारा कोषागारों में कार्यरत अनुसचिवीय कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिला पदाधिकारी के अधीन सौप दिया गया तथा वित्त विभागीय परिपत्र सं0 7063, दिनांक 28.09.2020 की कंडिका (3) द्वारा सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया कि कोषागार कर्मियों का अलग संवर्ग नहीं होगा और ये समाहरणालय संवर्ग के अंग होगें।

(iv) वित्त विभाग के संकल्प द्वारा कोषागारों के लिपिक वर्ग को समाहरणालय के लिपिक सवंर्ग में आमेलित किया गया है।

(v) कोषागारों के लिपिक संवर्ग में आमेलन के फलस्वरूप कोषागार एवं समाहरणालय के लिपिकों का एक ही संवर्ग होगा तथा समाहरणालय एवं कोषागार लिपिकीय पद परस्पर स्थानान्तरणीय होगें एवं उनकी एक ही समेकित वरीयता सूची होगी।

(vi) कोषागार के लिपिकीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों को समाहरणालय संवर्ग में शामिल किए जाने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी का इन पर पूर्ण प्रशासनिक एवं परिचालनात्मक नियंत्रण होगा साथ ही इन कर्मियों को जिला के अन्दर कही और स्थानान्तरण के लिए सक्षम होगें।

Scanned with OKEN Scanner

(vii) अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन करते हुए तथा अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। इस क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाए गए है।

उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के ज्ञापांक 362/स्था0, छपरा, दिनांक 26.02.2014 द्वारा पारित आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner